बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

संकल्प

संख्या : वन भूमि 24/2012 — 474 (ई०) पटना 15 दिनांक 30/08/2012

1. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक–11–9/98– FC दिनांक–03.01.2005 के द्वारा वनो के ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जाने वाले निम्नांकित जनोपयोगी विकास कार्यों के लिए 1.00 हे0 तक वन भूमि के अपयोजन की सामान्य स्वीकृति वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के तहत् प्रदत्त की गयी है ।

(i) स्कूल

(ii) डिस्पेन्सरी/अस्पताल

(iii) विद्युत एवं संचार लाईन

(iv) पीने के पानी की व्यवस्था

(v) जल/वर्षा जल हार्वेस्टिंग ढाँचा

(vi) लघु सिंचाई नहरें

(vii) गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोत

(viii) कुशलता उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

(ix) विद्युत सब–स्टेशन

(x) संचार पोस्ट

(xi) गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन/आउट पोस्ट/बॉर्डर आउटपोस्ट/वाच टावर।

इन मामलों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत् राज्य सरकार द्वारा वन भूमि के अपयोजन से संबंधित स्वीकृति आदेश निर्गत् किया जाता है। सम्प्रति यह सामान्य स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पत्र के दिनांक–11.09.2009 द्वारा दिनांक–31.12.2013 तक विस्तारित की गयी है।

2. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक–11–9/98–FC दिनांक–13.05.2011 द्वारा वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) प्रभावित देश के 60 जिलों में आधार भूत संरचना के विकास हेतु सरकारी विभागों द्वारा कराये जाने वाले जनोपयोगी कार्यों हेतु 5.00 हे0 तक वन भूमि के अपयोजन की सशर्त सामान्य स्वीकृति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत् दिनांक–31.12.2015 तक प्रदत्त की गयी है।

इन जनोपयोगी कार्यों में कंडिका–1 पर अंकित कुल ग्यारह कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण सड़क निर्माण एवं भूमिगत् ऑप्टिकल फाइबर के बिल/टेलीफोन लाईन/पीने के पानी की सप्लाई लाईन के लिए वन भूमि अपयोजन शामिल है। भारत सरकार द्वारा चिन्हित देश के 60 एल०डब्लू०ई० जिलों में बिहार राज्य के 7 जिले (औरंगाबाद, अरवल, नवादा, जहानाबाद, गया रोहतास, जमुई शामिल है।)

3. बिहार राज्य में इन सरकारी विभागों द्वारा कराये जाने वाले जनोपयोगी विकास कार्यों के लिए 1 हे० तक एवं एल०डब्लू०ई० जिलों में 5.00 हे० तक वन भूमि अपयोजन में मामलों के त्वरित निष्पादन के लिये, वन भूमि अपयोजन की अनुमति देने का अधिकार नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) बिहार को प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

4. उपर्युक्त कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत 1 हे० तक एवं एल०डब्लू०ई० जिलों में 5 हे० तक वन भूमि के अपयोजन की शक्ति निम्नांकित शर्त्तों के तहत् नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को प्रत्यायोजित करने की निर्णय लिया गया है:–

(i) सरकारी विभागों द्वारा कराये जाने वाले केन्द्र सरकार द्वारा चिन्हित जनोपयोगी विकास कार्यों के लिए ही 1.00 हे० तक एवं एल०डब्लू०ई० जिलों में 5.00 हे० तक वन भूमि का अपयोजन नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा किया जा सकेगा।

(ii) इन जनोपयोगी विकास कार्यों की स्वीकृति आवश्यकता आधारित होगी।

(iii) वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(iv) प्रयोक्ता एजेन्सी वन (संरक्षण) नियमावली, 2003 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में परियोजना प्रस्ताव नोडल पदाधिकारी वन (संरक्षण) को समर्पित करेंगे। नोडल पदाधिकारी वन (संरक्षण) द्वारा इन मामलों में वन (संरक्षण) नियमावली, 2003 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(v) प्रत्येक परियोजना के लिए प्रति हे० 50 वृक्षों से अधिक पातन नहीं होना चाहिए।

(vi) परियोजना क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी आश्रयणी/सुरक्षित क्षेत्र से बाहर होनी चाहिए।

(vii) संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी यह आकलन करेंगे कि परियोजना के लिए न्यूनतम वन भूमि का अपयोजन हो।

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) प्रधान मुख्य वन संरक्षक का अनुशंसा प्राप्त करने के उपरांत ही अपयोजन की स्वीकृति देंगे।

(ix) नाभिक पदाधिकारी (वन संरक्षण) इन मामलों में प्रदत्त स्वीकृति आदेश की एक प्रति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, एक प्रति मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, एडहॉक कैम्पा एवं एक प्रति पर्यावरण एवं वन विभाग को भेजेंगे।

(x) नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) प्रत्येक वर्ष की 30 जून एवं 31 दिसम्बर तक का छमाही प्रतिवेदन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार को उपलब्ध करायेंगे। इस प्रतिवेदन में इन मामलों में अपयोजित वन भूमि एवं उसका अपयोजन जिस उद्देश्य से हुआ है, उसके अनुपालन की स्थिति अंकित होगी।

(xi) अपयोजित होने वाले वन क्षेत्र में पातित किये जाने वाले वृक्षों के दुगुने संख्या में वनरोपण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना खर्च पर किया जायेगा। वनरोपण स्थल का चयन संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(xii) अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिए क्षतिपूरक वन रोपण की राशि, एन0पी0भी0 (विभागीय संकल्प संख्या–513 (ई0), दिनांक–27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर पर) प्रयोक्ता एजेन्सी से वसूलनीय होगी, जो एडहॉक–कैम्पा फण्ड में जमा किया जायेगा।

(xiii) सरकारी विभागों द्वारा किये जाने वाले जनोपयोगी कार्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सामान्य स्वीकृति आदेश पत्रांक–11–9/98–FC दिनांक–03.01.05, 11.09.2009 एवं भूमिगत ऑप्टिकल के बिल/टेलिफोन लाईन/पीने के पानी की सप्लाई लाईन के लिए भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय के पत्रांक–11–9/98– FC दिनांक–16.10.2000 एवं 08.04.09 तथा एल0डब्लू0ई0 जिलों के लिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक–11–9/98– FC दिनांक–03.11.10 एवं 13.05.11 द्वारा निर्धारित पात्रता एवं शर्तों के तहत् अपयोजन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी जायेगी।

(xiv) यह स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई अवधि के अतर्गत वैध होगी।

117

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–वन भूमि–24/12 474(ई) /प०व०, पटना–15, दिनांक–30/8/12

प्रतिलिपिः– ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि मुद्रित गजट की 200 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–वन भूमि–24/12 474(ई) /प०व०, पटना–15, दिनांक–30/8/12

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–वन भूमि–24/12 474(ई) /प०व०, पटना–15, दिनांक–30/8/12

प्रतिलिपिः– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्य (पर्यावरण एवं वन विभाग) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–वन भूमि–24/12 474(ई) /प०व०, पटना–15, दिनांक–30/8/12

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रि परिषद की बैठक दिनांक 17.08.2012 में मद संख्या-06 के रूप में सम्मिलित प्रस्ताव की स्वीकृति के अनुपालन के क्रम में प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

(PriSankalp_29.08.2012